कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 34/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 29.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-सरायमीर: अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनाँक- 29/01/2025 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति आरिफ पुत्र रफीक ग्राम बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को बीनापारा पुलिया के पास से समय करीब 2:40 बजे सुबह एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 29/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद तमंचा 315 बोर।
02. एक अदद कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 29/2025, धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0- 215/2019 धारा 3, 5, 5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
2.मु0अ0सं0 29/2025, धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.आरिफ पुत्र रफीक ग्राम बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

02.थाना-बरदहः दुष्कर्म में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक 26.01.25 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिक पुत्री जो शौच के लिये बाहर गयी थी को अभियुक्तो 01. हैप्पी पुत्र रामचेत, 02. सुरेन्द्र पुत्र रामचेत 03. सतीष पुत्र अज्ञात समस्त निवासीगण ग्राम कयार थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर द्वारा बलपूर्वक असलहे के दम पर वादी की पुत्री के साथ जबरदस्ती किया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 23/25 धारा 70(2),127(2),351(2),137(2) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 29.01.2025 को नि0अ0 हीरामणि यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त हैपी पुत्र रामचेत निवासी ग्राम कयार थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर को कमालपुर नहर पट्टी से समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

03.थाना-अहरौला: अपहरण के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरणः-

दिनांक 28.06.2024 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री जो घर के बाहर गई थी तथा जब वह काफी देर तक वापस नहीं आयी, जिसके बारे में खोजबीन करने पर पता चला कि अभियुक्त रवि पुत्र योगेन्द्र ग्राम मड़ना पोस्ट युधिष्ठिरपट्टी थाना अहरौला द्वारा बहला- फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया। जब वादी द्वारा अभियुक्त के घर से वालों से पूछा गया तो अभियुक्त के घर वालों द्वारा गाली देते हुए वादी को भगा दिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 316/2024 धारा 363/366/504 भादवि बनाम 1. रवि पुत्र योगेन्द्र 2. परिवार के अन्य लोग समस्त निवासीगण ग्राम मड़ना थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता के बयान व साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/504 भादवि का होना नहीं पाया गया जिससे मुकदमा उपरोक्त से धारा 366/504 भादवि का विलोपन किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 29.01.2025 को उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रवि पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम मड़ना थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को पकड़ी तिराहा से समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 316/2024 धारा 363 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

04.थाना-अहरौला:-गोकशी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरणः-

दिनांक 07.01.2025 को वादी तात्कालीन थानाध्यक्ष मनीष पाल थाना अहरौला आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि जब वह मय हमराह के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे तभी जरिये दूरभाष सूचना मिली कि ग्राम समशाबाद बरसातीगंज मझुई नदी पुल के पास प्रतिबंधित पशु के कुछ अवशेष मिले हैं प्राप्त सूचना पर जब मैं वहां पहुँचा तो पाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित पशु के कुछ अवशेष वहां पर फेके गये है। जिसे मौके पर उपस्थित प्राइवेट व्यक्तियों के मदद से गड्ढा खोदकर दफनाया गया । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 13/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 29.01.2025 वर्तमान थाना प्रभारी अहरौला धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि शमसाबाद बरसातीगंज मझुई नदी पुल के पास नदी के किनारे जाने वाले रास्ते पर एक पिकप वाहन में कुछ गो तस्कर प्रतिबंधित पशुओं को लेकर आये है और उसे उतार रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर मौके से एक अभियुक्त मोफीद पुत्र रब्बानी निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसका दूसरा साथी मौके से अँधेरे व जंगल झाड़ी व नदी के किनारे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। पूँछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.01.2025 को जो प्रतिबंधित पशु का अवशेष मिला था वह मेरे व मेरे साथियों द्वारा घटना कारित किया गया था। जिसके आधार पर मु0अ0स0 13/25 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ मे अभियुक्तों 1. मोफीद पुत्र रब्बानी निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. बिल्ला पुत्र इब्राहिम निवासी मेहियापर थाना अहरौला जनपद आजगमढ़ 3. मुनीस पुत्र मुनमुन निवासी मेहियापर थाना अहरौला जनपद आजगमढ़ 4. फैजान उर्फ नाटे पुत्र मोहम्मद निवासी मेहियापर थाना अहरौला जनपद आजगमढ़ 5. सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी सतवहिया थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरणः-

01. 04 नफर प्रतिबंधित पशु

02. 02 अदद चापड

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 35/25 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट

02. मु0अ0सं0 13/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 133/2020 धारा 3/5/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0अधि0 तथा 307 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 196/2021 धारा 3/5/8 गो0नि0अधि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 361/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 थाना अहरौला आजमगढ़ ।

04. मु0अ0सं0 13/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

05. मु0अ0सं0 35/25 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट

05.थाना-कप्तानगंजः-गोकशी करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 28.01.2025 को **समय 19.45 वजे** उ0नि0 मायापति पाण्डेय मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि बाले पट्टी गाव में सूनसान स्थान पर सड़क के किनारे एक पिकप वाहन में गो तस्कर प्रतिबंधित पशुओं को लाद रहे हैं। प्राप्त सूचना पर विश्वास करके जरिये दूरभाष व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह को सूचना दिया गया मौके पर पहुँचकर देखा गया कि बाले पट्टी गांव की सरहद में ट्युबेल के पास सड़क पर एक सफेद रंग पिकप खड़ी थी जिसमें पीछे 04 राशि प्रतिबंधित पशु लदे थे जिन्हें गाँव के लोग चार गो तस्करों को रोककर खड़े थे। जिन्हे पुलिस पकडा गया तथा नाम पूछने पर उनके द्वारा अपना नाम 01. फैजान उर्फ नाटे पुत्र मोहम्मद निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 02. बिल्ला पुत्र इब्राहिम निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 03. मुनीस पुत्र मुनमुन निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 04. सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी सतवहियाँ थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर चारो पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि इसी महीनें 07.01.2025 को समसाबाद बरसातीगंज मझुई नदी पुलिया थाना अहरौला में गोवंश के अवशेष हम लोगो द्वारा फेका गया था उस समय हम लोगो के साथ मुफीद पुत्र रब्बानी निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ भी था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 20/25 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया व अन्य एक अभियुक्त तारिक पुत्र मकसूद निवासी शेरवा थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष को आज दिनांक 29.01.25 को समय 12.20 बजे थाना गेट के पास से सिन्धु चाय वाले की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु**0**अ**0**सं**0 20**/25 धारा **3/5A/5B/8** गोवध निवारण अधिनियम व **11** पशु क्रुरता निवारण अधिनियम

आपराधिक इतिहास-

फैजान उर्फ नाटे पुत्र मोहम्मद निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0स0 45/23 धारा 379,411,419,420,467,468 भा0द0वि0 थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़

2. मु.अ.स.445/24 धारा 109,115(2), 121(1), 132, 3(5), 324(4), 351(2),61(2) बीएनएस थाना अहिरौला आजमगढ़

3. मु.अ.स.41/23 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना जैतपुर अम्बेडकरनगर

मुनीस पुत्र मुनमुन निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0स0 45/23 धारा 379,411,419,420,467,468 भा0द0वि0 थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़
2. मु.अ.स.445/24 धारा 109,115(2), 121(1), 132, 3(5), 324(4), 351(2),61(2) बीएनएस थाना अहिरौला आजमगढ़
3. मु.अ.स.41/23 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना जैतपुर अम्बेडकरनगर
4. मु0अ0सं0 57/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना जैतपुर अम्बेडकरनगर
5. मु0अ0सं0 55/24 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जैतपुर अम्बेडकरनगर

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. फैजान उर्फ नाटे पुत्र मोहम्मद निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ **उम्र 25 वर्ष**
2. बिल्ला पुत्र इब्राहिम निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ **उम्र 30 वर्ष**
3. मुनीस पुत्र मुनमुन निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ **उम्र 20 वर्ष**
4. सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी सतवहियाँ थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 **वर्ष**
5. तारिक पुत्र मकसूद निवासी शेरवा थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 27 **वर्ष**

बरामदगीः-

01. चार राशि प्रतिबंधित पशु

02. एक अदद वाहन पिकप सफेद रंग

03. एक अदद मोटरसाईकिल

06.थाना-पवई:-मारपीट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.01.25 को वादी अजय नारायण उपाध्याय पुत्र रामकेवल उपाध्याय निवासी ग्राम दत्तापुर थाना पवई तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ मय 1.गिरजा देवी पत्नी राजनारायण 1.विजयनारायण पुत्र रामकेवल 3.राजनारायन पुत्र रामबहाल निवासीगण ग्राम दत्तापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के साथ थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया कि अभियुक्तों 1.माधव प्रसाद पुत्र स्व0 रामसुन्दर 2.प्रवीण कुमार पुत्र माधव प्रसाद 3.विवेक कुमार पुत्र माधव प्रसाद उपाध्याय 4.विनोद कुमार पुत्र स्व रघुनाथ उपाध्याय 5. मनोज कुमार पुत्र स्व0 हरीनाथ 6.जदुवंश पुत्र स्व0 रामसुन्दर 7. राजेश पुत्र रघुनाथ 8. नीलम पत्नी गणेश उपाध्याय समस्त निवासीगण ग्राम दत्तापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी व उसके परिवार वालों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/25 धारा 109,115(2),74,352,351(2),3(5) बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 08 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचना के क्रम में साक्ष्य व बयान ग्रामवासीगण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 74 बीएनएस की घटोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 29.01.25 को उ0नि० रवीन्द्र प्रसाद मय हमराह व उ0नि0 श्रीकेश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1.प्रवीण कुमार पुत्र माधव प्रसाद 2.विवेक कुमार पुत्र माधव प्रसाद उपाध्याय निवासीगण ग्राम दत्तापुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़ को मिल्कीपुर से समय करीब 08.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 03 अदद लाठी डण्डा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

प्रेस नोट

दिनांक 29.01.2025 को निदेशक, मुख्यालय महिला एंव बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या ए0डी0जी0-म0स0प्र0-व-10/2022 व मा0 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली संलग्न पत्र संख्या 1601/45/2025/Child Labour/NCPCR/DD 37519 के द्वारा अखिल भारतीय बाल बचाव एवं पुर्नवास, किशोर श्रम उन्मूलन हेतु बच्चों और किशोरों को बालश्रम से बचाने एवं पूर्नवास अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में एवं नोडल अधिकारी थाना ए.एच.टी. अपर पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय के पर्यवेक्षण में थाना एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकंग टीम द्वारा जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र कन्धरापुर व थाना क्षेत्र कप्तानगंज के विभिन्न प्रतिष्ठानों, मिठाई की दुकानों, ढ़ाबों/रेस्टोरेंट ऑटो मोबाइल की दुकानों, गैराजों पर सघन चेकिंग किया गया। थाना ए.एच.टी. टीम द्वारा अभियान के दौरान दुकानदारों/ जनता के लोगों को बालश्रम न कराने पर जोर दिया गया तथा सार्वजनिक स्थानों/ मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट/ढ़ाबा, ब्रेकरी, आटो मोबाइल की दुकान, गैराज आदि स्थानों पर बालश्रम न कराने से सम्बन्धित पोस्टर चस्पा कर तथा इमरजेंसी सहायता हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्प लाइन नंम्बरों 108, 112, 1090, 1930,1098,1076,181 आदि के सम्बन्ध में लोगों को जागरुक किया गया।

उक्त बालश्रम उन्मूलन अभियान में सम्मिलित अधिकारी कर्मचारीगण-

1. प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा, थाना एएचटी आजमगढ़।
2. उ0नि0 उमेश कुमार, थाना एएचटी आजमगढ़।
3. म0हे0का0 सरिता पाण्डेय, थाना एएचटी आजमगढ़।
4. का0 रोहित मिश्र, थाना एएचटी आजमगढ़।
5. म0का0 अर्चना तिवारी, थाना एएचटी आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा थाना फूलपुर का किया गया औचक निरीक्षण व दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 29.01.2025 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा थाना फूलपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षक के दौरान निम्नलिखित आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

➡ निरीक्षण के क्रम में थाना परिसर, कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, भोजनालय, बैरक, शौचालय, माल निस्तारण, शस्त्रों के रख-रखाव व महिला हेल्पडेक्स का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

➡थाना परिसर में उच्चकोटि की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

➡निस्तारण योग्य वाहनों को अपराध, शीर्षकवार खड़ा किया जाय तथा नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

➡थाना कार्यालय में रखे रजिस्टरों का अवलोकन कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।